न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 23/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1 हरिसिंह पुत्र भूरसिंह 2 रसाल कंवर पत्नी छत्रसिंह 3 अजीतसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री सुरेश पूनड़, वकील प्रार्थीगण।
2 पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 01.08.2023

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण आपस मे सेढा पड़ौसी है जिनके खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 2234/1081 रकबा 0.5625 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 2430/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2424/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, जो मूल खसरा संख्या 1081 के खरीदसुदा खेत है। प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 2234/1081 के उतरी दिशा में भौतिक रूप से अन्य खातेदारों का कब्जा वक्त खरीद स्थापित है, जबकि नक्शे में उक्त भाग प्रार्थी संख्या 01 हरिसिंह के हिस्से में दर्शाया गया है, जो परिशिष्ठ 'अ' में लाल व हरे रंग से दर्शित है, जिसमे लाल रंग प्रार्थी संख्या 02 का हिस्सा व कब्जा तथा हरा रंग से दर्शित भाग पर प्रार्थी संख्या 03 का भौतिक कब्जा काश्त है। राजस्व अधिकारियों द्वारा तहसील ऑनलाईन करने के दौरान व अपूर्ण तरमीम पूर्ण करने के दौरान वास्तविक रूप से भौतिक कब्जे का अनदेखा कर वास्तविक तरमीम से भिन्न स्थान पर कर दी गई, जो भौतिक कब्जे के विपरित है। परिशिष्ठ 'अ' में अंकित लाल रंग का हिस्सा प्रार्थी संख्या 02 तथा खसरा संख्या 2430/1081 के हिस्से में किया जाना है तथा हरे रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2424/1081 के हिस्से में किया जाना है। उक्त तरमीम करने पर प्रार्थीगण की तरमीम उनके कब्जे काश्त के अनुसार हो जायेगी जिस पर प्रार्थीगण की पूर्ण सहमति है। उक्त भौतिक तरमीम के विपरित तरमीम के अनुसार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 2234/1081 रकबा 0.5625 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 2430/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2424/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' में अंकित लाल रंग का हिस्सा प्रार्थी संख्या 02 तथा खसरा संख्या 2430/1081 के हिस्से तथा हरे रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2424/1081 के हिस्से तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर से मौका रिपोर्ट तल की गई।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2023/934 दिनांक 31.03.2023 तथा पत्रांक भू.अ./2023/1638 दिनांक 05.07.2023 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई कि ग्राम बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2234/1081, 2430/1081 व 2424/1081 की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त तीनों खसरों की तरमीम परिशिष्ठ 'अ' अनुसार है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार संलग्न परिशिष्ठ 'ब' के मुताबिक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। लिहाजा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती से किसी काश्तकार का रकबा/हिस्सा तथा खसरे का रकबा अपरिवर्तित रहता है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2073-2076, नक्शों, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के मद्देनजर परिशिष्ठ 'ब' अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा उक्त तरमीम परिशिष्ठ 'ब' अनुसार करने पर प्रार्थीगण के रकबे/हिस्से में किसी प्रकार का अन्तर नही रहेगा। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के मद्देनजर प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 2234/1081 रकबा 0.5625 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 2430/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2424/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार है जो प्रार्थीगण ने स्वीकार किया है। मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 2234/1081 रकबा 0.5625 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 2430/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2424/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खेत प्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 2234/1081 रकबा 0.5625 हैक्टयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 2430/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 के खसरा संख्या 2424/1081 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" व परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर